(7)

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्याः /XVII-3/2012-05(OBCबजट)/2012

प्रेषक,

बी0आर0 टम्टा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 20 अप्रैल, 2012

विषयः **चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान (01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक) के आय–व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के **आयोजनेत्तर पक्ष** की विभिन्न मदों मे प्राविधानित धनराशियों को संलग्नक के अनुसार **₹ 1,30,14,000/– (रुपये एक करोड़ तीस लाख चौदह हजार मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
5. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
7. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
8. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
9. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्यता/अवचनबद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वि.वि. की सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
13. आयोजनेत्तर पक्ष की अन्य मदों के अन्तर्गत धनराशि की मांग का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराए जाए, ताकि उनकी स्वीकृतियां पृथक से जारी की जा सके।
14. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
17. यह आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलोटमैंट आई डी संख्या– S1204150517, S1204150518 एवं S1204150519 दिनांक 18 अप्रैल, 2012 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।

संख्याः ३५५ (1)/XVII-3/12-05(OBC.बजट)/2012 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।